नई दिल्ली, दिल्ली के उच्च न्यायालय में
(मूल कंपनी क्षेत्राधिकार)
सी. पी. नं. 328/2011
कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले मे तथा
इकोटेक अपैरल्स प्रा. लि. (परि. में) के मामले में
अपने दावों को साबित करने हेतु समस्त सुरक्षित लेनदारो, श्रमिकों, असुरक्षित लेनदारो, अधिमान्य ऋणदाताओ हेतु
सूचना का विज्ञापन

एतद्द्वारा उपरोक्त नामित कंपनी (परि. में) के सभी लेनदारो को सूचित किया जाता हैं कि उन्हे दिल्ली में कंपनीज् (न्यायालय) नियम, 1959 के प्रपत्र क्रमांक 66 मे रू. 10/– के बिना न्यायायिक स्टाम्प पत्र में उनके मूल दस्तावेजों की फोटोकॉपी के साथ साथ उनके ऋण/दावों तथा प्राथमिकता के किसी अधिकार के साथ एवं अपने ऋण/दावों को साबित करने वाला एक शपथ पत्र को आधिकारिक परिसमापक के कार्यालय में प्रदायगी द्वारा नामित कंपनी के विरुद्ध अपने तत्सम्बन्धित ऋण/दावों के प्रमाण माननीय उच्च न्यायालय के आधिकारिक परिसमापक को **13.05.2025** को या उससे पूर्व प्रस्तुत करने होंगे या पोस्ट द्वारा भेजने होंगे जो उनकें पास कथित तिथि से पहले पहुंच जाएं । कोई भी लेनदार जो उपरोक्त अनुसार सीमित समय के अंदर प्रमाण का अपना शपथपत्र प्रस्तुत नहीं करता हैं तो उसे ऐसे वितरण की विषयवस्तु से उनका ऋण साबित होने से पहले या जैसा भी मामला होगा, लाभांश के सभी वितरण के लाभ से बाहर कर दिया जाएगा ।

कोई भी लेनदार जो अपना प्रमाण भेजते हैं, यदि वे आधिकारिक परिसमापक से लिखित में सुचना द्वारा ऐसा चाहते हैं तो, या तो स्थल या अपने अधिवक्ता द्वारा ऐसे ऋण या दावें की जाच में ऐसे समय एंव स्थान पर जैसा कि ऐसी सूचना में निर्दिष्ट हैं, भाग ले सकते हैं और अपने ऋण या दावें जैसा अपेक्षित हो का ऐसा आगे साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते हैं ।

कंपनीज् (न्यायालय) नियम, 1959 के प्रपत्र क्रमांक 66 प्राप्ति हेतु वेबसाईट ww.mca.gov.in तथा www.delhiol.com देखें ।

हस्ता/–
दिनांक : 21 अप्रैल, 2025, नई दिल्ली (एस. मीनाक्षी)
आधिकारिक परिसमापक
दिल्ली उच्च न्यायालय से संलग्न
8वां तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003.
फोन : 011–24693393. ईमेल : ol.delhi@mca.gov.in

कब्जा सूचना

जबकि, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उधारकर्ता(ओं)/सह–उधारकर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें उधारकर्ताओं से आह्वान किया गया है कि वे नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नामों के समक्ष उल्लिखित राशि को ब्याज सहित उक्त नोटिस में उल्लिखित लागू दरों पर चुकाएं, साथ ही भुगतान औपध्या वसूली की तिथि तक लागू आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के रूप में भविष्य में होने वाले ब्याज का भी भुगतान करें।

क्र. सं.	ऋण संख्या	उधारकर्ता/ सह–उधारकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2) नोटिस दिनांक/बकाया देय (रूपये में)	दिनांक/समय एवं कब्जे का प्रकार
1	47939610002068 और 47939630000492	1) श्री ऋतिक साध (आवेदक), 2) श्रीमती सुहानी साध (सह–आवेदक)	13.02.2025 रू.28,70,526/– (रूपये अट्ठाईस लाख सत्तर हजार पाँच सौ छब्बीस मात्र) 11.02.2025 तक	दिनांक: 21.04.2025 समय: 10:47 पूर्वाह्न प्रतीकात्मक कब्जा

संपत्ति का विवरण: अचल संपत्ति का वह पूरा टुकड़ा, निर्मित संपत्ति संख्या 76/4–ए का भूतल, प्लॉट संख्या 224, क्षेत्रफल 68 वर्ग गज, यानी 56.85 वर्ग मीटर, (612 वर्ग फीट) जिसमें एक ड्राइंग–कम–डाइनिंग, दो बेडरूम, एक रसोई, स्नानघर/शौचालय भूतल पर, छत तक, बिजली से सुसज्जित, अलग मीटर के साथ नल का पानी, साथ ही आम सितारों का उपयोग करने का अधिकार, आम मुख्य द्वार/प्रवेश, अविभाजित अविभाज्य, आनुपातिक स्वामित्व अधिकार के साथ उक्त भूखंड पर सभी फिक्स्चर और फिटिंग के साथ, साथ ही उक्त भवन में प्रदान की गई सभी सामान्य सुविधाएं, सुख–सुविधाएं, खसरा संख्या 1079/309, खाता संख्या 70, खेवट संख्या 6, आबादी गली में स्थित नंबर 11, ईस्ट आजाद नगर, कृष्णा नगर, गांव घोंडली, इलाका शाहदरा, दिल्ली–110051 के क्षेत्र में। **जो श्री ऋतिक साध, पुत्र श्री जितेश साध के स्वामित्व में है। सीमा: पूर्व:** अन्य की संपत्ति, **पश्चिम:** सड़क 8 फीट, **उत्तर:** अन्य की संपत्ति नंबर 76/4, **दक्षिण:** अन्य की संपत्ति नंबर 75/1।

जबकि, यहां ऊपर उल्लिखित उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता देय राशि चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के अधिकृत अधिकारी ने ऊपर वर्णित तिथियों पर उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऊपर वर्णित सुरक्षित संपत्तियो पर कब्जा कर लिया है विशेष रूप से ऊपर उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओ और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि वे उपरोक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथलेन–देन न करें और उक्त संपत्तियों/सुरक्षित परिसंपत्तियों के साथ कोई भी लेनदेन **जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड** के शुल्क के अधीन होगा।

स्थान: दिल्ली एनसीआर
दिनांक: 22.04.2025
हस्ता/–प्राधिकृत अधिकारी,
जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
पंजीकृत कार्यालय: द फेयरवे, ग्राउंड और प्रथमतल, सर्वे नंबर 10/1, 11/2 और 12/2बी, ऑफ डोमलूर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के बगलमें, चल्लाघट्टा, बैंगलोर–560071
शाखा कार्यालय: 16/12, दूसरी मंजिल, डब्ल्यू.ई.ए आर्य समाज रोड, करोलबाग, दिल्ली–110005

एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड

(पूर्ववर्त्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)
निगमित कार्यालय : 10वां तल, कार्यालय सं. 101, 102 एवं 103, 2 नॉर्थ एवेन्यू, मेकर मैक्सिटी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू), मुंबई– 400051

मॉंग सूचना

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (''अधिनियम'') और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 (''नियमावली'') के प्रावधानों के अंतर्गत

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड** (पूर्ववर्त्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड (एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अधिनियम के अंतर्गत और नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत मॉंग सूचना(एं) निर्गत की थीं, जिनमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) को संबंधित सूचना(ओं) में अंकित राशि का, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता सकारण मानते हैं कि उधारकर्ता(गण) जो हैं वे मॉंग सूचना(नों) की प्राप्ति कर भुगतान करने के दायित्वों से बच रहे हैं, अतः उन तक सूचना पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना को नियमावली के अनुसार उनके ध्यानार्थ स्थान–स्थान पर चिपकाया जा रहा है और इसका प्रकाशन किया जा रहा है। मॉंग सूचना(ओं) की विषयवस्तु के निष्कर्ष यहाँ इसमें नीचे दिये गये हैं :

उधारकर्ता (ओं) के नाम	मॉंग सूचना तिथि तथा राशि
1. संतोष कुमार सिंह 2. मैसर्स कालका स्टोर 3. श्रीमती राधामणि देवी 4. श्रीमती मुन्नी देवी **लैन** – 212220911351103	11 अप्रैल 2025 रु. 35,37,277/– (पैंतीस लाख सैंतीस हजार दो सौ सतहत्तर रुपये मात्र) 07 अप्रैल 2025 के अनुसार

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति की स्वामिनी – श्रीमती राधामणि देवी संपत्ति विवरण – 50 वर्ग गज क्षेत्रफल वाला आवासीय भूखंड 1.1. 41.805 वर्ग मीटर। खसरा नं. 529 दीपक विहार (सुशी) विहार) कॉलोनी, गांव खोड़ा परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद–201 001 में स्थित है, **सीमाएं: –पूर्व** में इस्लाम के प्लॉट से, **पश्चिम में** रामपलट यादव के प्लॉट से, **उत्तर में** रास्ता 20 फीट से, **दक्षिण में** अन्य मालिक के प्लॉट से।

उधारकर्ता (ओं) के नाम	मॉंग सूचना तिथि तथा राशि
1. संदीप जगबीर सिंह 2. कमलेश जगबीर 3. जगवीर मुंशी **लैन** – 211020911397103 / 211020910771402	11 अप्रैल 2025 रु. 27,03,548/– (सत्ताईस लाख तीन हजार पांच सौ अड़तालीस मात्र) 07 अप्रैल 2025 के अनुसार

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के स्वामी – श्री संदीप, संपत्ति विवरण – 200 वर्ग गज का मकान किला नंबर 13/17/3, 14/1, 14/2, एमसी एरिया, वाका रकबा, गढ़ी बरहाना, मेयर विहार, सोनीपत और नीचे दिए गए आयाम के साथ घिरा हुआ **पूर्व–** सुमन का प्लॉट **पश्चिम–** गली 15 फीट **उत्तर–** अन्य का प्लॉट, **दक्षिण–** गली 18 फीट, वाका मोजा गढ़ी बरहाना में एमसी सीमा के भीतर आबादी मेयर विहार के भीतर स्थित है।

उधारकर्ता (ओं) के नाम	मॉंग सूचना तिथि तथा राशि
1. मैसर्स अग्रवाल ट्रेडर्स 2. श्रीमती रेखा गर्ग 3. रविंदर कुमार 4. अखिल गर्ग **लैन** – 215020910895406	11 अप्रैल, 2025 रु. 29,23,316/– (रुपये उनतीस लाख तेईस हजार तीन सौ सोलह मात्र) 07 अप्रैल 2025 के अनुसार

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति की स्वामिनी – श्रीमती रेखा, संपत्ति विवरण – प्लॉट जिसका माप 85 वर्ग गज है यानी 71 वर्ग मीटर, जिसका माप 17 ग 45 फीट है, शिव वाटिका कॉलोनी, टाउन दादरी, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर के खसरा नंबर 2191 से संबंधित निचली सीमा में स्थित है। **सीमाएं :– पूर्व–** रास्ता 17 फीट, **पश्चिम–** अन्य की संपत्ति, **उत्तर–** अन्य संपत्ति, **दक्षिण–** आरिफ की संपत्ति।

उधारकर्ता (ओं) के नाम	मॉंग सूचना तिथि तथा राशि
1. श्री श्यामवीर सिंह 2. श्रीमती सविता सिंह **लैन** – 212220910993346	11 अप्रैल 2025 रु. 24,82,785/– (रुपये चौबीस लाख बयासी हजार सात सौ पिचासी मात्र) 07 अप्रैल 2025 के अनुसार

बंधककृत अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के स्वामी – श्यामवीर फूल सिंह, संपत्ति विवरण – पूर्व की ओर 18 फीट, पश्चिम की ओर 18 फीट, उत्तर की ओर 80 फीट और दक्षिण की ओर 80 फीट की भूमि का प्लॉट, इस प्रकार कुल क्षेत्रफल 160 वर्ग गज यानी 133.78 वर्ग मीटर यानी 0.013378 हेक्टेयर, खसरा नंबर 556 में से, ग्रामलकस्बा बिलासपुर, (बहार टाउन एरिया), परगना दनकौर, तहसील और जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित, **सीमाएं:– पूर्व बाय–** रोड, **पश्चिम बाय–** प्लाट ऑफ राजेश, **उत्तर बाय–** प्लाट ऑफ लखमी, **दक्षिण बाय–** आबादी यादराम

उधारकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे मांग सूचना का अनुपालन करें और इसमें उल्लिखित मांग राशि का भुगतान इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर लागू ब्याज, अतिरिक्त ब्याज, बाउंस शुल्क, लागत और व्यय के साथ भुगतान की प्राप्ति की तिथि तक करें। उधारकर्ता ध्यान दें कि एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट एक प्रतिभूत ऋणदाता हैं और उधारकर्ताओं द्वारा प्राप्त ऋण सुविधा उधारकर्ताओं द्वारा गिरवी रखी गई प्रतिभूत संपत्ति होने के कारण अचल संपत्ति/संपत्तियों के विरुद्ध एक प्रतिभूत ऋण है।

यदि उधारकर्ता निर्धारित समय के भीतर अपनी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल रहते हैं, तो एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रतिभूत संपत्ति(ओं) पर कब्जा करने के लिए सभी अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार होगी, जिसमें बिक्री के माध्यम से या अधिनियम और उसके तहत नियमों के तहत उपलब्ध किसी अन्य उपाय को लागू करके उन्हें स्थानांतरित करना और भुगतान प्राप्त करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बिक्री या हस्तांतरण के अधिकार को लागू करने से पहले प्रतिभूत संपत्ति(ओं) को कुर्क करने और/या सील करने का भी अधिकार है। प्रतिभूत संपत्ति(ओं) की बिक्री के बाद, एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को बकाया राशि वसूलने के लिए अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू करने का भी अधिकार है, अगर गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट को देय बकाया राशि को कवर करने के लिए अपर्याप्त है। यह उपाय किसी अन्य कानून के तहत एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट के लिए उपलब्ध सभी अन्य उपायों के अतिरिक्त और स्वतंत्र है।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसमें प्रतिभूत परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में और आगे अधिनियम की धारा 13(13) की ओर, जिसके तहत उधारकर्ताओं को एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट की पूर्व लिखित सहमति के बिना प्रतिभूत परिसंपत्तियों का निस्तारण या उनसे निस्तारण या बिक्री, पट्टे या अन्यथा (व्यापार के सामान्य क्रम के अलावा) किसी भी प्रतिभूत परिसंपत्ति को स्थानांतरित करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है और उपरोक्त का अनुपालन न करना उक्त अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है। मांग सूचना की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है और उधारकर्ता, यदि वे चाहें तो, सामान्य कार्यालय समय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरकर्ता से इसे प्राप्त कर सकते हैं।

स्थान : गाजियाबाद, सोनीपत (हरियाणा), गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)
दिनाँक : 22-04-2025
हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड
(पूर्ववर्त्ती फुलरटन इंडिया क्रेडिट कंपनी लिमिटेड)

PUBLIC NOTICE

Whereas, we,M/S JINDAL INFRA BUILD PRIVATE LIMITED are in the process of undertaking of development of an Affordable Plotted Colony under DeenDayal Jan AwasYojna Housing Policy 2016 and Policy Extension dated 24.01.2018 over an area measuring 12.15625 Acres, situated in Sector-17, Tehsil & District Sonepat, Haryana in accordance with the license granted for anAffordable Plotted Colony vide LicenceNo.99 of 2023, dated 08.05.2023by the Director, Town & Country Planning, Haryana, Chandigarh. And whereas, there is no third party right has been created in the said Affordable Plotted Colony. And whereas, the earlier approved layout planis now proposed to be revised by the office of Director, Town & Country Planning, Haryana Chandigarh.And whereas, the office of Director, Town & Country Planning, Haryana Chandigarh has required seeking of objection from allotees/general public in the Said Project against the revision of layout plan as a pre-condition for allowing such proposed and revision in the layout plans. Accordingly, vide this public notice objections are hereby invited from any of the allottees/general public in the said colony on the proposed and revision of the layout plan of the said colony. A copy of the earlier approved layout drg. Memo No. 10088, dated 01.03.2024 and the proposed and revised Layout plan, approved in-principle vide Mrmo No. ZP-1985/JD(GK)/2025/14071, dated 18.04.2025 available for perusal on our website i.e., www.jindalinfrabuild.com. The said layout plans also be perused at the office of undersigned as well as in the office of Senior Town Planner, Rohtak, District Rohtak. Any allottee having any objection on revised layout plan, may file his objection in the office of Senior Town Planner, Rohtak, District Rohtak within 30 days of the publication of this notice, failing which it shall be assumed that there are no objections to the proposed revised layout plan.

Place: Sonepat
Date: 21.04.2025
For M/S JINDAL INFRA BUILD PRIVATE LIMITED
(Authorised Signatory)

SONALIS CONSUMER PRODUCTS LIMITED

Corporate Identification Number: U52109MH2022PLC378461; **Registered Office:** HD-275, We Work Oberoi Commerz II, 20th floor, CTS No. 95, 4 B 3 & 4 590, Off W. E. Highway, Oberoi Garden City, Goregaon East, Mumbai, Goregaon East, Maharashtra - 400063, India; **Contact Number:** +91-9867611444; **Contact Person:** Ms. Sweta Agarwal, Company Secretary and Compliance Officer; **Email-ID:** cs@appetitefood.in; **Website:** www.sonalisconsumer.com

This is only an advertisement for information purposes and not for publication, distribution or release directly or indirectly outside India. This notice does not constitute an offer or invitation or inducement to purchase or sell or to subscribe for, any new securities of the Company. All capitalized terms used and not denied here shall have the meaning assigned to them in the Letter of Offer dated April 01, 2025 lied with BSE Limited ("BSE "or "Stock Exchange ") and with SEBI for information and dissemination purposes.

CORRIGENDUM TO LETTER OF OFFER & ABRIDGED LETTER OF OFFER DATED APRIL 01, 2025 FOR THE ATTENTION OF SHAREHOLDERS OF SONALIS CONSUMER PRODUCTS LIMITED

The Company through this Corrigendum to the Letter of Offer & Abridged Letter of Offer wishes to bring to the notice of the Shareholders the following amendments:
You are requested to take the below changes into consideration:

- Under the heading "Issue FOR ON MARKET RENUNCIATIONS" in page 01, Under the heading "On Market Renunciation" in page 04, Under the heading "Renunciation Period" in page 06, Under the heading "Issue Schedule" in page 34, Under the heading "Issue Schedule" in page 37, Under the heading "On Market Renunciation" in page 169, Under the heading "ISSUE SCHEDULE" in page 173 of the Letter of Offer and in page 2 of the Abridged Letter of Offer under the heading "INDICATIVE TIMETABLE", under the heading "ABRIDGED LETTER OF OFFER CONTAINING SALIENT FEATURES OF THE LETTER OF OFFER" in page 08 of the Abridged Letter of Offer, the Last Date for On Market Renunciation of Rights Entitlements to be read as "Monday, 21st April, 2025" instead of "Wednesday, 21st April, 2025" i.e. Last Date for On Market Renunciation of Rights is Monday, 21st April, 2025."

A copy of the corrigendum will also be made available on the Company's website at www.sonalisconsumer.com.

Thanking You
For, SONALIS CONSUMER PRODUCTS LIMITED
Sd/-
SONALI NILESH KOCHAREKAR
Managing Director DIN: 09536461
Date: 21/04/2025
Place: Mumbai

बैंक शाखा का स्थानांतरण

सभी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि
बैंक शाखा पूर्व मॉडर
एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड
बिल्डिंग नंबर 1217/51, मोहल्ला उत्तरी कम्पट्टी, रेलवे रोड, बायपास, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश–205001
13 जून 2025 से निम्नलिखित पते पर स्थानांतरित कि जायेगी।

नया पता :
एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड
ग्राउंड फ्लोर बिल्डिंग म्युनिसिपल नंबर 1252/22, प्लाट नंबर 366 के बाहर, देवपुरा, उत्तर कम्पट्टी, स्टेशन रोड, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश–205001

सोमवार से शनिवार : सुबह 09:30 बजे से शाम 03:30 बजे तक दुपहर बीच अवकाश और प्रत्येक रविवार को बंद

HDFC BANK

COURT NOTICE

In The Court Of Tarjani Judicial Magistrate First Class, Amritsar
Nadras Tu
Vs.
P K Mohammad
CNR NO: PBAS03-000261-2022
Next Date: 30-04-2025
Publication Issued To: P K mohammad father: kutty hassan peringadkkatt house, kumminiparamba p.o karippur, kondotty taluk malappuram distt kerala 673638
In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 30-04-2025 at 10:00 a.m.
for details logon to:
https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_notice&district=Amritsar
JMIC Amritsar

प्रपत्र संख्या INC-25A

सार्वजनिक कंपनी को निजी कंपनी में रूपांतरण के लिए
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय,
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 41 के मामले में,
और
ओमनेस्टा ऑनलाइन लिमिटेड
जिसका पंजीकृत कार्यालय **13/30, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110008** भारत में है, के मामले में, ...**आवेदक**

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी उपरोक्त नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 14 के तहत पूर्वोक्त नियमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार को आवेदन करने का इरादा रखती है तथा **शुक्रवार, 18 अप्रैल, 2025** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार **एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी** में परिवर्तित होने की इच्छुक है, ताकि कंपनी को इस तरह के परिवर्तन को प्रभावी करने में सक्षम बनाया जा सके।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के प्रस्तावित परिवर्तन/स्थिति से प्रभावित होने की संभावना है, वह अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ संबंधित अपनी आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक, (उत्तरी क्षेत्र) के पते **बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003**, पर सौंप सकता है या वितरित कर सकता है या पंजीकृत डाक से भेज सकता है। इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से **चौदह दिनों** के भीतर आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में एक प्रति के साथ नीचे उल्लिखित पते पर भेजना होगा:

ओमनेस्टा ऑनलाइन लिमिटेड
13/30, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110008

ओमनेस्टा ऑनलाइन लिमिटेड की ओर से
हस्ताक्षर/-
दिनांक: 22.04.2025 रवि शर्मा (निदेशक)
स्थान : दिल्ली डीआईएन: 00979427

Mahindra FINANCE

पंजीकृत कार्यालय: गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई– 400 001.
कॉर्पोरेट कार्यालय: बी विंग, तीसरी मंजिल, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, पीरामल अमिटी बिल्डिंग, सुंदर बाग लेन, कमानी जंक्शन, कुर्ला पश्चिम मुंबई– 400 070.

सरफैसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना

जबकि आप नीचे उल्लिखित कर्जदार, सह–कर्जदार, गारंटर और बंधककर्ताओं ने अपनी अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर महिंद्रा एंड **महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** से ऋण लिया है। आप सभी द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि महिंद्रा एंड **महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** अधिनियम के तहत एक प्रतिभूत लेनदार होने के नाते, और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 2 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मांग सूचना जारी की है जिसमें कॉलम संख्या में उल्लिखित कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ताओं को सूचना की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि उस पर भावी ब्याज के साथ चुकाने के लिए कहा गया है।

कर्जदार/सह–कर्जदार /गारंटर/ बंधककर्ता के नाम	ऋण खाता सं. तथा ऋण राशि	प्रवर्तित की जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	एनपीए की तिथि तथा मांग सूचना की तिथि	तिथि तक बकाया राशि रु.
1. मुकुल बिल्डर्स पेंट्स एंड हार्डवेयर के मालिक – श्री अशोक शर्मा (प्रोपराइटर) 2. श्रीमती शीला शर्मा (सह–कर्जदार और बंधककर्ता)	स्वीकृति पत्र संदर्भ संख्या 0009402828 दिनांक 12.01.2023 ऋण संख्या/अनुबंध संख्या ISBLREP23343686 ऋण राशि रु. 1,37,90,423/– (रुपये एक करोड़ सैंतीस लाख नब्बे हजार चार सौ तेईस मात्र)	**बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण 1 :** प्लॉट का पूरा भाग खेवट नं.–236 मिन., खतौनी नं.–354, म्यू. नं.–56, किला नं.–17 (7–10), 22(6–6), 23(8–0), 24(8–0), म्यू. नं.–58, किला नं.–4/2/1 (1–9), वाका मौजा अगवानपुर, तहसील व जिला– फरीदाबाद, हरियाणा। **सीमाएं: उत्तर: सड़क; दक्षिण:** दूसरों की संपत्ति; पूर्व : मकान नं.–2000.; पश्चिम: मकान नं.–1998.	एनपीए की तिथि: 10.04.2025 मांग सूचना की तिथि: 17.04.2025	रु. 1,35,60,739.97/– (रुपये एक करोड़ पैंतीस लाख साठ हजार सात सौ उनतालीस एवं सत्तानबे पैसे मात्र) तिथि 15.04.2025 तक

इसलिए, जैसा कि कॉलम संख्या 1 में उल्लेख किया गया है, कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर और बंधककर्ता को नोटिस दिया जाता है, जिसमें उनसे कहा जाता है कि वे इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिनों के भीतर सभी संबंधित कर्जदार/सह–कर्जदार के विरुद्ध कॉलम संख्या 5 में दर्शाई गई कुल राशि का भुगतान करें क्योंकि उक्त राशि कॉलम संख्या 5 में दर्शाई गई तारीख को संबंधित ऋण खाते के संबंध में देय पाई गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि भावी ब्याज और अन्य राशियों के साथ कुल राशि, जो भुगतान की तारीख तक देय हो सकती है, का भुगतान नहीं किया जाता है, तो महिंद्रा एंड **महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** को कॉलम संख्या 3 में वर्णित संपत्तियों पर प्रतिभूति हित लागू करने के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा। कृपया ध्यान दें कि यह प्रकाशन ऐसे अधिकारों और उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किया गया है जो कानून के तहत उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के कर्जदार/सह–कर्जदार/गारंटर/बंधककर्ताओं के खिलाफ महिंद्रा एंड **महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड** को उपलब्ध हैं, आपसे आगे यह ध्यान देने का अनुरोध किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आपको प्रतिभूत ऋणदाता की पूर्व सहमति के बिना उपरोक्त प्रतिभूति का निपटान या उससे निपटने या प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से हस्तांतरण करने से रोका/निषिद्ध किया जाता है।

दिनांक: 22.04.2025 स्थान: फरीदाबाद, हरियाणा
हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8–(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड) (आईआईएफएल–एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) के साथ नियम 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नीचे उल्लिखित कर्जदार/सह–कर्जदारों को राशि वापस करने के लिए माँग सूचना जारी की गई थी, एतद्वारा कर्जदार तथा जनसामान्य को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है। जनसामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन ब्याज सहित ''आईआईएफएल एचएफएल'' के प्रभार के अधीन होगा, जैसा कि यहां उल्लिखित है। ''कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, यदि कर्जदार बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय ''आईआईएफएल एचएफएल'' की बकाया राशि को सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों सहित चुका देता है, तो प्रतिभूत परिसंपत्तियों को ''आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा और प्रतिभूत परिसंपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री के लिए ''आईआईएफएल एचएफएल'' द्वारा आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

कर्जदार(रों)/ सह–कर्जदार(रों) का नाम	प्रतिभूत आस्ति का विवरण (अचल संपत्ति)	कुल बकाया राशि (रु.)	माँग सूचना की तिथि	कब्जे की तिथि
श्री कादिर अली, श्री नासिर अली, श्रीमती नगीना बेगम, श्री साबिर अली (प्रॉस्पेक्ट सं. IL10010173)	फ्लैट नंबर–एस–3, द्वितीय तल, पिछला भाग, पीछे बाएं हाथ की ओर एलआईजी, प्लॉट नंबर–सी–1/35, डीएलएफ दिलशाद एक्सटेंशन– II, हदबस्त गांव ब्रह्मपुरा उर्फ भोपुरा, परगना लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201102, भारत का समस्त भाग। क्षेत्र माप (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: क्षेत्र माप संपत्ति का क्षेत्र: 400.00	रु.1357895/– (रुपये तेरह लाख सत्तावन हजार आठ सौ पंचानबे मात्र)	15/11/2024	16/04/2025
श्री मनोज कुमार उपाध्याय, श्रीमती भावना देवी, न्यू जे के धर्म कांटा (प्रॉस्पेक्ट सं. IL10255960)	फ्लैट नंबर–295, प्रथम तल, ब्लॉक ई, सेक्टर – एक